

अति आवश्यक/विभिन्न ध्यानाधीन
समयबद्ध

संख्या: शिक्षा-एच॥ 10891/2

शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला-171001, 23 अप्रैल, 1991.

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, हि० प्र०
प्रधानाचार्य, राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, धरमना, हि० प्र०
समस्त प्रधानाचार्य, रा० बरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएँ, हि० प्र०
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
अन्त्योदय परिवारों के बच्चों को विशेष आर्थिक सहायता तथा छात्रवृत्ति प्रदान करना: बजट का आबंटन ।

विषय:-

ज्ञापन,

आपको सूचित किया जाता है कि सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 91-92 में अन्त्योदय परिवारों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है । जिसके अन्तर्गत मु० 51.00 लाख रुपये की धन राशि प्रारम्भिक आर्थिक सहायता हेतु प्रदान की है जिसे आबंटन प्रपत्र के पर संलग्न है ।

इस राशि को किताबों, वर्दी एवम् लेखान सामग्री आदि पर व्यय किया जाएगा । अतः अनुरोध है कि इस राशि का आहरण 30.4.91 से पहले कर लिया जाए तथा इसको पात्र अन्त्योदय परिवारों के छात्र/छात्राओं को शीघ्र भुगतान किया जाए जिसकी सूचना इस निदेशालय को 3.5.91 तक आवश्य उपलब्ध कराई जाए ताकि सरकार को इससे अवगत कराया जा सके । इस राशि के आहरण हेतु अनुमोदित नियमावली की प्रतिलिपि भी आपको संलग्न की जाती है । नियमावली के छाण्ड 6॥ अदायगी॥ के अनुसार राशि का आहरण एवम् वितरण किया जाए ।

यदि इस आबंटित राशि से आपको व्या की कमी पड़े जाए तो तार द्वारा इस निदेशालय को सूचित किया जाए और यदि आपके पास आबंटित राशि बचती हो तो वह भी इस निदेशालय को तार द्वारा सूरेंडर की जाए ताकि किसी दूसरी संस्था जिसको आवश्यकता हो, को बितरित की जा सके । इसके साथ यह भी सुनिश्चित करें कि आपके जिले/संस्था में अन्त्योदय के सभी पात्र छात्र/छात्राओं की सूची पूर्ण विवरण सहित इस निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए तथा कोई भी पात्र छात्र/छात्रा उक्त आर्थिक सहायता से वंचित न रहे ।

इस राशि का आहरण सम्बन्धित आहरण एवम् वितरण अधिकारियों द्वारा निम्न लेखा शीर्षकों से किया जाएगा ।

1. 2202-सामान्य शिक्षा प्लान 6-8
- 01-एलीमेंट्री एजुकेशन
- 109-स्कालरशिपस एण्ड इन्सैटिवज
- 02-स्कालरशिपस ऑफ मिडल स्कूलज
- अण्डर अन्त्योदय छात्रवृत्ति-1991-92

(2)

✓ 2. 2202-जनरल एजुकेशन प्लान 9-12
02-स्कूल एजुकेशन
107-स्कालरशिप
01-स्कालरशिप ऑफ स्कूल स्कूलज
अंडर अन्त्योदय छात्रवृत्ति-1991-92.

3. 2202-जनरल एजुकेशन प्लान
03-यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन
107-स्कालरशिप
01-स्कालरशिप टू कॉलेज स्टूडेंट्स
अंडर अन्त्योदय छात्रवृत्ति-1991-92

अतः पुनः अनुरोध है कि आर्बिट्र की गई राशि का आहरण 30.4.91 से पूर्व आवश्य किया जाए तथा इसे अन्त्योदय परिवारों के पात्र छात्र/छात्राओं को तुरन्त वितरित किया जाए तथा इसकी पालना रिपोर्ट 3.5.91 तक आवश्य प्रेषित की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राशि का आहरण तथा वितरण नियमावली में दर्शाए गए रजिस्टर के प्रपत्र अनुसार विवरण रखा जाए जिस निरीक्षण अधिकारी निरीक्षण के समय देखा करेगा।
शिक्षा निदेशक,
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सम दिनांक शिमला-171001, 23 अप्रैल, 1991.

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव शिक्षा, हि0प्र0 सरकार को उनके पत्र संख्या ग० 108/91-शिक्षा-दिनांक 22.4.91 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त जिला कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, हि0प्र0।

17/4/91
शिक्षा निदेशक,
हिमाचल प्रदेश।

(23)

अथ "क" बजट का आवंटन

शिक्षा अधिकारियों के लिए

क्र.सं.	जिले का नाम	अन्त्योदय परिवारों की संख्या	बांटी गई राशि
			6.50 लाख
1.	जि०शि०अ० कांगड़ा	20791	5.50 "
2.	" मण्डी	11837	5.00 "
3.	" रूना	9279	4.50 "
4.	" शिमला	8500	4.00 "
5.	चम्बा	7861	3.50 "
6.	" हमीरपुर	5747	3.00 "
7.	" बिलासपुर	5627	2.50 "
8.	" सोलन	5008	2.50 "
9.	" सिरमौर	5008	1.50 "
10.	" कुल्लू	4463	1.50 "
11.	" लाहौल-स्पिति	1187	1.00 "
12.	" किन्नौर	1102	1.00
	कुल जोड़:		41.00 लाख

समस्त बरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के लिए

मु० 4000/- रुपये प्रति बरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की दर से
 150 बरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के लिए = $4000 \times 150 = 6.00$ लाख रुपये

समस्त महाविद्यालयों एवं संस्कृत महाविद्यालयों के लिए

मु० 16000/- रुपये प्रति महाविद्यालय की दर से [शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला समेत]
 25 महाविद्यालयों के लिए = $16000 \times 25 = 4.00$ लाख रुपये

कुल आवंटित राशि:-

समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए = 41.00 लाख
 समस्त बरिष्ठ मा०पा० के लिए = 6.00 "
 समस्त महाविद्यालयों के लिए = 4.00 "
 कुल जोड़: 51.00 लाख रुपये

शिक्षा निदेशक,
 हिमाचल प्रदेश।

(4) (3)

हिमाचल प्रदेश के अन्त्योदय परिवारों के विद्यार्थियों को राजकीय विद्यालय एवम् राजकीय महाविद्यालय स्तर पर आर्थिक सहायता व छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु
 आवली, 1221

1. उद्देश्य

अन्त्योदय परिवारों के विद्यार्थियों को राजकीय विद्यालय एवम् राजकीय महाविद्यालय स्तर पर आर्थिक सहायता व छात्रवृत्ति योजना, 1991

2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य अन्त्योदय परिवारों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

3. विषय-क्षेत्र

यह आर्थिक सहायता एवम् छात्रवृत्तियाँ केवल हिमाचल प्रदेश के अन्त्योदय परिवारों के बच्चों को राजकीय विद्यालय एवम् राजकीय महाविद्यालय स्तर तक 1-4-91 से उपलब्ध होंगी।

4. पात्रता एवम् शर्तें

1. यह आर्थिक सहायता एवम् छात्रवृत्ति अन्त्योदय परिवारों के विद्यार्थियों को जो हिमाचल प्रदेश के सरकारी शिक्षा संस्थानों में निरन्तर अध्ययनरत रहेंगे, के लिए होगी।
2. जो विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उसे उसी वर्ष के लिए दूसरी बार यह सहायता एवम् छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।
3. इस योजना के अन्तर्गत जिन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता एवम् छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी उन्हें अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी तथापि जो विद्यार्थी गुणवत्ता छात्रवृत्ति में आएंगे उन्हें गुणवत्ता छात्रवृत्ति भी पूर्णतया देय होगी।

5. आर्थिक सहायता एवम् छात्रवृत्ति की राशि

वर्षा

- 1 से 5
- 6 से 8
- 9 से 10
- 11 और + 12

महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जो छात्रावास में नहीं रहते।

महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जो छात्रावास में रहते रहेंगे।

आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति

छात्रों के लिए

सभी विद्यार्थियों के लिए

250/- रु. वार्षिक

300/- रु. वार्षिक

सभी विद्यार्थियों के लिए

सभी विद्यार्थियों के लिए

सभी विद्यार्थियों के लिए

तथा 1200/- रु. वार्षिक

रहने के लिए।

छात्राओं के लिए

150/- रु. वार्षिक

500/- रु. वार्षिक

600/- रु. वार्षिक

800/- रु. वार्षिक

1200/- रु. वार्षिक

1200/- रु. वार्षिक

अतिरिक्त छात्रावास में

रहने के लिए।

5

अदायगी

आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थियों को देय होगी। एक भाग विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सत्र के प्रारम्भ में दूसरा भाग छात्रवृत्ति के रूप में चार त्रैमासिक किस्तों में देय होगी जिसका भुगतान त्रैमास समाप्ति के बाद पहले पखवाड़े में किया जाएगा परन्तु मार्च में समाप्त हो वाली त्रैमास अवधि की छात्रवृत्ति का भुगतान मार्च महीने के दो दूसरे पखवाड़े में कर दिया जाएगा। छाण्ड 5 में दर्शाई गई राशि का वितरण आर्थिक सहायता व छात्रवृत्ति अंशों में निम्न प्रकार से किया जाएगा:-

कक्षा	सहायता की कुल वार्षिक राशि	प्रारम्भिक आर्थिक सहायता रुपये	वैशेष वार्षिक छात्रवृत्ति रुपये	छात्रवृत्ति जो त्रैमास के बाद दी जाएगी रुपये
1 से 5	150/-	50/-	100/-	25/-
6 से 8 छात्र	250/-	70/-	180/-	45/-
छात्रा	500/-	140/-	360/-	90/-
9 से 10 छात्र	300/-	80/-	220/- (220/-)	55/-
छात्रा	600/-	240/-	360/-	90/-
11 व 12 छात्र	800/-	300/-	500/-	125/-
छात्रा	1200/-	400/-	800/-	200/-

महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए जो छात्रावास में नहीं रहते।

महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जो छात्रावास में रहेंगे।

1200/- = 400/- इसके अतिरिक्त 300/- रु प्रति त्रैमास सरकारी छात्रावास में रहने के लिए।

800/- 200/- 300/- रु प्रति त्रैमास सरकारी छात्रावास में रहने के लिए।

7. अदायगी की विधि

उपरोक्त आर्थिक सहायता एवं छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए सम्बन्धित विद्यालय तथा महाविद्यालय में कोई आवेदन पत्र नहीं लिया जाएगा। के आरम्भ में सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों में एक रजिस्टर बना कर उनमें कक्षावार अन्त्योदय परिवार के छात्र/छात्राओं के नाम लिखा जाएगा। सम्बन्धित मुख्याध्यापक/प्राचार्य इन छात्रों के परिवारों के पहचान पत्र स्वयं देखाकर उसका जारी करने वाले अधिकारी का नाम व जारी होने की तिथि छात्र के नाम के प्रविष्टि कर देंगे। भुगतान करते समय दी गई राशि की प्रविष्टि और प्राप्त कर छात्र छात्रा के हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे। इस भुगतान हेतु रसीद टिकट लगाने आवश्यकता नहीं। सम्बन्धित संस्था के मुख्याध्यापक/प्राचार्य भुगतान दिखाने व सभी प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे। इस रजिस्टर को निरीक्षण अधिकसरी हर निरीक्षण के करेंगे और इस आशय की प्रविष्टि निरीक्षण के समय कर दी जाएगी। रजिस्टर छानने निम्नलिखित होंगे :-

6

24

-----3-----

कक्षा में प्रवेश
की तिथि

2.

विद्यार्थी का
नाम
छात्र/छात्रा

3.

प्रारम्भिक आर्थिक
सहायता की राशि

4.

विद्यार्थी के
हस्ताक्षर

5.

मुख्याध्यापक/
प्राचार्य के
हस्ताक्षर

6.

छात्रवृत्ति की राशि तथा भुगतान की तिथि आदि ।

7.

विभाज

राशि

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर
तिथि सहित

मुख्याध्यापक/प्राचार्य के
हस्ताक्षर तिथि सहित

प्रथम

द्वितीय

तृतीय

चतुर्थ

पंचम

षष्ठ

Government of Himachal Pradesh
Higher Education Department

No.EDN-B-C (10)2/2022

Dated Shimla-2, the



NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the rates of various scholarship schemes with the following manners:-

Sr. No.	Name of State Sponsored Scheme	Existing Amount of Scholarship/ Financial Assistance	Proposed Revised Financial Assistance during Vidhan Sabha Budget 2022-23.
(i)	Maharishi Balmiki Chattarvriti Yojna	Rs. 9000/- p.a. or Rs. 750 PM.	Rs. 18000/- p.a.
(ii)	Indira Gandhi Utkrisht Chhatervriti Yojna for Post Plus Two Students	Rs. 10000/- p.a. or Rs. 833 PM.	Rs. 18000/- p.a.
(iii)	Kalpna Chawla Chhatravriti Yojna	Rs. 15000/- p.a. or Rs. 1250 PM.	Rs. 18000/- p.a.
(iv)	Dr. Ambedkar Medhavi Chattarvriti Yojna to SC Students	Rs. 12000/- p.a. or Rs. 1000 PM.	Rs. 18000/- p.a.
(v)	Dr. Ambedkar Medhavi Chattarvriti Yojna to OBC Students	Rs. 10000/- p.a. or Rs. 1000 PM.	Rs. 18000/- p.a.
(vi)	Swami Vivekanand Utkrisht Chhatervriti Yojna	Rs. 10000/- p.a. or Rs. 1000 PM.	Rs. 18000/- p.a.
(vii)	Rashtriya Indian Military College Scholarship	Rs. 20000/- p.a. or Rs. 2000 PM.	Rs. 24000/- p.a.
(viii)	Sainik School Sujanpur Tihra Scholarship	Rs. 18000/- P.A. for the students whose family income is less than Rs.	Rs. 18000/- p.a.

		9220/ P.M., Rs.15000/-P.A for the students whose family income lies between Rs.9221 to Rs. 10650 P.M., Rs.12000/- P.A. for the students whose family income lies between Rs. 10651/- to Rs.11470/-, and Rs. 8000/-P.A. for the students whose family income is more than Rs. 11471(P.M).	
(ix)	Financial Assistance to the children of the Armed Forces Personnel killed/disabled during the different War/Operations	For boys of 9 th & 10 th Classes Rs. 300/- P.A. Rs. 600/-P.A. for girls of 9 th & 10 th classes, For 11 th & 12 th classes boys & girls Rs. 800/- P.A. and For College & University Students Rs. 1200/- P.A. for day scholar & Rs. 2400/- P.A. for Hostellers.	Rs. 18000/- p.a.
(x)	IRDP/BPL Scholarship Scheme now renamed as Mukhya Mantri Vidarthi Kalyan Yojna".	For boys of 9 th & 10 th Classes Rs. 300/- P.A. Rs. 600/-P.A. for girls of 9 th & 10 th classes, For 11 th & 12 th classes boys & girls Rs. 800/- P.A. For College & University Students Rs. 1200/-P.A. for day scholar & Rs. 2400/-P.A. for Hostellers'	Rs. 1500/- p.a. for male school students, Rs. 2000/- p.a. for female school students and Rs. 5000/- p.a. for College & University students (Day scholars). For Hostellers 6000/- p.a. The State Govt. also rename the IRDP Scholarship Scheme as "Mukhya Mantri Vidarthi Kalyan Yojna".

The terms and conditions issued earlier in respect of aforesaid schemes will be unchanged.

By Order,

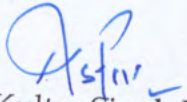
(Maneesh Garg)
Principal Secretary (Education) to the,
Government of Himachal Pradesh.

Dated Shimla-2 the 21-7-2022.

Ends. No: As above:

Copy to:-

1. The Director of Higher Education HP Shimla-1, w.r.t. their letter No. EDN-H(10)F(4)18/2009-10-Misc. dated 6th April, 2022 for information and further necessary action. The compliance report of the aforesaid announcement may be furnished to this department within the 15 days positively.
2. Guard file.


(Kultar Singh Rana)
Under Secretary (Education) to the
Government of Himachal Pradesh
Ph.No.0177-2623293
